भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 835
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

मुकदमेबाजी पर व्यय

835. श्री राजा राम सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दस वर्षों के दौरान मुकदमेबाजी पर किए गए कुल व्यय का वर्ष-वार विवरण क्या है ;

(ख) उक्त व्यय का मंत्रालय-बार, विभाग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा मुकदमेबाजी और उससे संबंधित लागतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या इसमें परिकल्पित सुधारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार द्वारा अध्यपेक्षित डाटा वांछित रूप और रीति में नहीं बनाए रखा जाता है । तथापि गत तीन वर्ष के दौरान मुकदमेबाज़ी पर उपगत व्यय वर्षवार निम्नानुसार है:--

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	व्यय (रु. में)
1.	2014-15	26,64,66,066
2.	2015-16	37,43,25,971
3.	2016-17	48,12,92,060
4.	2017-18	65,83,50,532
5.	2018-19	51,85,65,364
6.	2019-20	61,08,76,154
7.	2020-21	58,43,62,137
8.	2021-22	48,56,53,683
9.	2022-23	57,45,33,707
10.	2023-24	66,57,83,403

(ग) और (घ) : न्यायालय मामलों में लंबित मामलों की संख्या में कमी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती क्योंकि मामलों का न्यायनिर्णयन न्यायालय द्वारा किया जाता है। सरकार की, न्यायालयों में

मामलों के न्यायनिर्णयन और समय पर इनके निपटान में कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, मामलों के त्वरित निपटान में सहायता करने और उनकी लंबित संख्या में कमी करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के तीव्र निपटान के लिए एक पारिस्थितकी तंत्र का उपबंध करने के लिए सरकार ने अगस्त 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है जिसके, प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को तय करके, पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं। यह मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृदधि, अत्यधिक मुकदमेबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर बल देने सहित न्यायालयों की उन्नत अवसंरचना को अंतर्वलित करता है।

न्याय परिदान के हेतुक की सहायता करने के लिए न्याय विभाग द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:--

न्यायिक अवसंरचना संबंधी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के लिए हालों, प्रसाधन प्रक्षेत्रों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों, जो वकीलों और वादकारियों के जीवन को सुगम बनाएंगे, के संनिर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जा रहीं हैं, जिसका परिणाम न्याय परिदान में सहायता करना होगा । आज की तारीख तक, वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ होने के समय से ही 11167.36 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन 30.06.2014 तक न्यायालयों की संख्या 15818 से बढ़कर 30.06.2024 तक 23020 हो गई है और आवासीय यूनिटों की संख्या 30.06.2014 तक 10211 से बढ़कर 30.06.2024 तक 20836 हो गई है ।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन भारतीय न्यायपालिका की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन (वैन) संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्समान जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है । 30.04.2024 तक, 1050 ई-सेवा केंद्रों की न्यायालय परिसरों में स्थापना की गई है जिससे वकीलों और वादकरियों को नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 31.05.2024 तक, 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों की स्थापना की गई है और ये न्यायालय 5.08 करोड़ मामलों पर कारर्वाई की है तथा 561.09 करोड़ से अधिक रुपये से अधिक रूपए का जुर्माना वसूल किया है।

मत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-III का अनुमोदन किया है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, चरण-III का उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रोद्योगिकी प्लेटफार्म सृजित करना है जो न्यायालयों, वादकारियों और अन्य पणधारियों के बीच बाधारहित तथा पेपरलेस इंटरफेस का उपबंध करेगा । परियोजना के लिए प्रस्तावित समय-सीमा वर्ष 2023 से आगे आरंभ होने वाले चार वर्ष हैं । यह न्यायालय अभिलेखों, विरासत, अभिलेखों और लंबित मामलों दोनों का डिजिटीकरण, सहज पुन:प्राप्ति के लिए आंकड़ा निधान आधारित आधुनिक तथा नवीनतम क्लाउड, पूरे भारत में सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्रों की; पेपरलेस न्यायालयों, जिला अस्पतालों को आच्छादित करने के लिए विस्तारित की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधाओं, अंतिम कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण और आभासी न्यायालय की परिधि के विस्तार की परिकल्पना करता है । परियोजना "स्मार्ट" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सहज उपयोक्ता अनुभव का उपबंध करने में भी सहायता करेगी । रजिस्ट्रियों में कम डाटा प्रविष्टी और बेहतर निर्णय को सुकर बनाने वाली न्यूनतम फाइल

संवीक्षा तथा नीति योजना होगी । इस प्रकार ई-न्यायालय चरण-।।। देश के सभी नागरिकों को न्यायालय अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और बाधारहित बनाकर न्याय की सहजता सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर साबित होगा ।

ई-न्यायालय चरण-।।। के अधीन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 825 करोड़ रूपए में से परियोजना के अधीन एक एकल वित्तीय वर्ष में 805.57 करोड़ रूपए की रकम अब तक की सबसे अधिक निधिया जारी की गई थीं । ये निधियां अक्तूबर, 2023 में प्राप्त की गई थी और पांच मास के अंतराल में 768.25 करोड़ रूपए (93.11%) रूपए का व्यय, जो आज की तारीख तक ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सबसे अधिक है, किया गया था । वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्राक्कलन में 1500 करोड़ रूपए का आबंटन प्राप्त किया गया है जिसमें से 464.98 करोड़ रूपए विभिन्न न्यायालयों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

सरकार, उच्चत्तर न्यायपालिका में रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है । 01.05.2014 से 09.07.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 62 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी । 976 उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी और 745 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । मई, 2014 में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़कर वर्तमान में 1114 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
10.07.2024	25,523	20,414

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया मामले समितियों का गठन किया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की है। 31.05.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों पर विचारण करने के लिए 866 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों को अंतर्वलित करने वाले आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रेक करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बलात्कार और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। 31.05.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 410 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित कुल 755 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,53,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने, विभिन्न विधियों, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है ।

वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले

में पूर्व संस्थन मध्यक्ता और समझौता (पीआईएमएस) अनिवार्य बनाया गया है। समयसीमा निर्धारित करके विवादों का त्वरित समाधान करने के लिए मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया है।

लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री होती है और यह सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी और अंतिम होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख को आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (जून, 2024 तक)	2,86,75,168	56,88,231	3,43,63,399
कुल	13,79,29,657	364,90,006	17,44,19,663

सरकार ने, वर्ष 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ कानूनी सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

30 जून, 2024 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्रेक अप	सलाह सक्षम	% वार ब्रेक अप
लिंग के अनुसार				
स्त्री	34,77,951	38.43	34,38,027	38.38
पुरुष	55,73,180	61.57	55,19,687	61.62
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	21,09,811	23.31	20,81,215	23.23
अन्य पिछड़ा वर्ग	28,25,925	31.32	27,95,376	31.21
अनुसूचित जाति	29,01,087	32.05	28,74,044	32.08
अनुसूचित जनजाति	12,14,308	13.42	12,07,079	13.48

कुल	90,51,131		89,57,714	

देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रौधोगिकी कार्य ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य करने के लिए स्वैच्छा से अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ **उमंग** प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 22 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 89 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र के अधीन कुछ पहल की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:--

गत दशक के दौरान भारत सरकार ने अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं और इन तंत्रों को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त नीति बनाना तथा विधायी हस्तक्षेप करना जारी है और उन्हें अधिक प्रभावकारी तथा त्वरित बनाना भी जारी है। एडीआर तंत्रों जिनके अंतर्गत माध्यस्थम और मध्यक्ता भी है, कम प्रतिकूल हैं और विवादों का समाधान करने की पारंपरिक पद्धतियों के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। एडीआर तंत्रों के प्रयोग से न्यायपालिका पर बोझ को कम करने की भी प्रत्याशा की जाती है और जिसका परिणाम देश के नागरिकों को न्याय वितरण करने में समर्थ बनाना है।

इस संबंध में गत वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई मुख्य पहलों, उठाए गए कदमों तथा किए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का उत्तरोतर रूप से वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में संशोधन किया गया है । इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम कार्यवाहियों के समापन को, मध्यस्थों की तटस्थता को, माध्यस्थम प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और माध्यस्थम अधिनिर्णयों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिश्चित करना है । इन संशोधनों का और उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना, उत्तम वैश्विक पद्धतियों को परिलक्षित करने वाली विधि को अद्यतन करना और संदिग्धताओं का समाधान करना है जिसका परिणाम एक ऐसा माध्यस्थम पारिस्थितकी तंत्र स्थापित करना है जहां संस्थागत माध्यस्थम के माध्यम से संचालित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम विकसित हो सके और समृद्ध बन सके ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन वर्ष 2018 में किया गया था जिससे, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व संस्थन मध्यक्ता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र के लिए उपबंध किया जा सके। इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में कोई अत्यावश्यक अंतरिम राहत अनुध्यात नहीं है, वहां पक्षकारों को न्यायालय पहुंचने से पूर्व पीएमएस के आज्ञापक उपचार को प्रथमत: लेना होगा। इसका उद्देश्य मध्यक्ता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करना है।

भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम अधिनियम, 2019 संस्थागत माध्यस्थम को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्वस्तर निकाय सृजित करने, और केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र (केन्द्र) की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । चूंकि केन्द्र की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य माध्यस्थम के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच का उपबंध करके पक्षकारों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों के बीच विश्वास को प्रेरित करना है। केन्द्र ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय

मध्यस्थाओं के संचालन को सुकर बनाने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द (माध्यस्थम का संचालन) विनियम, 2023 भी अधिसूचित किया है जिसका फोकस दक्ष और समयबद्ध माध्यस्थ प्रक्रिया पर है । भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन माध्यस्थम का चैंबर, विख्यात मध्यस्थों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थमों दोनों के लिए पैनल बनाया जाना जारी है । केन्द्र, देश में आदर्श माध्यस्थम संस्था बनने के लिए परिकल्पित है, जिसका परिणाम माध्यस्थम के लिए संस्थागत कार्य ढांचे की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

मध्यक्ता अधिनियम, 2023 विवाद के पक्षकारों द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले विशेष रूप से संस्थागत मध्यक्ता के लिए कानूनी कार्यढांचा अधिकथित करता है जिसमें विभिन्न पणधारियों की भी पहचान की जाती है जिससे देश में सुद्दढ़ और प्रभावकारी मध्यक्ता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जा सके।

मुकदमेबाज़ी और निम्नलिखित से सहयोजित खर्चों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ अन्य पहलें की गई हैं :

* प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) स्कीम, 2024 और 2020 को वित्त अधिनियम, 2024 और 2020 द्वारा क्रमश: पुर:स्थापित किया गया है जिससे मुकदमेबाज़ी को कम किया जा सके।

* सीबीडीटी ने ई-अपील स्कीम, 2023 अधिसूचित कर दी है और अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील) के सौ नए पद सृजित किए हैं।

* प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) स्कीम, 2024 और 2020 को वित्त अधिनियम, 2024 और 2020 द्वारा क्रमश: पुर:स्थापित किया गया है, जिससे मुकदमेबाज़ी को कम किया जा सके।

* सीबीडीटी ने ई-अपील स्कीम, 2023 अधिसूचित कर दी है और अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील) के सौ नए पद सृजित किए हैं।

* सीबीडीटी ने वर्ष 2024 में आयकर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा अपीलें फाइल करने की धनीय सीमाओं को बढ़ाकर, 60 लाख रूपए, 2 करोड़ रूपए और 5 करोड़ रूपए कर दिया है। अपीलें फाइल करने की धनीय सीमाओं का पुनरीक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है।

* सीबीडीटी ने 30.08.2024 को, ई-विवाद समाधान स्कीम, 2022 (ई-डीआरएस) अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य मुकदमेबाज़ी को कम करना और छोटे करदाताओं को राहत प्रदान करना है।

* केन्द्रीय कार्य योजना 2024-2025 सीआईटी अपील और अतिरिक्त/जेसीआईटी (अपील) दोनों के लिए अपील निपटान लक्ष्यों को बढ़ाया है। सीआईटी (ए/एयू), सीआईटी (आईटी एंड टीपी) तथा अतिरिक्त/आईसीआइटी (ए) के लिए अपील निपटान का लक्ष्य क्रमश: 600, 450 और 800 नियत किया गया है।

* सीआईटी (अपील) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 251 के अधीन सशक्त किया है जिससे निर्धारण अधिकारी द्वारा 01.10.2024 से नई परीक्षा के लिए एक पक्षीय निर्धारण आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपीलों को अपास्त किया जा सके।

* कुल 44 पीसीआईटी और 39 सीआईटी (डीआर) को प्रथम अपीली स्तर पर जनशक्ति में वृद्धि करने के लिए एक उपाय के रूप में सीआइटी (अपील) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ।

(घ) आज की तारीख तक मुकदमेबाज़ी को कम करने के लिए किए गए उपायों के पश्चात् निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं:--

* 40,166 पात्र निर्धारितियों ने 01.10.2024 से 31.01.2025 तक डीटीवीएसवी, 2024 के लिए विकल्प लिया है।

* चालू वर्ष के पहले नौ मासों में प्रथम अपीली स्तर पर अपीलों का निपटान पहले ही संपूर्ण पूर्व वर्ष में निपटाई गई अपीलों तक पहुंच गया है।

* विभाग द्वारा अपील फाइल करने के लिए धनीय सीमा को बढ़ाकर, वर्ष 2015 से कुल 43,895 अपीलों को आईटीएटी, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से वापस ले लिया गया है।

****